संचिका सं०–म० / यो०–12 / 2026–3020 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना–15, दिनांक– 16 / 6 / 2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ 28.90 लाख (अठाईस लाख नब्बे हजार) मात्र अनुदान स्वरूप राशि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अन्तर्गत बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि० पटना के पूर्व कार्मिकों के कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) के भुगतान की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–708, दिनांक–25.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 28.90 लाख (अठाईस लाख नब्बे हजार) मात्र अनुदान स्वरूप राशि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अन्तर्गत बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि० पटना के पूर्व कार्मिकों के कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु वित्त विभाग द्वारा कोषागार से उक्त राशि की निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण राशि की निकासी नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ 28.90 लाख (अठाईस लाख नब्बे हजार) मात्र अनुदान स्वरूप राशि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अन्तर्गत बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि० पटना के पूर्व कार्मिकों के कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

2. कृषकों को समुचित मात्रा में उन्नत नस्ल के मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1980 में बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई थी। कालांतर में इस निगम का नाम बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि० कर दिया गया, जिसका कार्यालय मीठापुर, पटना में अवस्थित है। कर्मचारी भविष्य निधि, पटना के पत्रांक–RO/PAT/PD/BRPAT0005422000/2025/0-2465, दिनांक–04.12.2025 द्वारा बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम के कर्मिकों के भविष्य निधि के अंशदान के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) के रूप में ₹ 28.89098 लाख (₹ 15.18281 + ₹ 13.70817) रुपये की माँग की गई है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के संकल्प–132, दिनांक–20.06.2018 के अनुपालन में निगम कर्मियों के अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान जमा नहीं होने की स्थिति में भी सरकारी अंशदान का भुगतान प्रशासी विभाग द्वारा किया जाना है। निगम की वित्तीय स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। अतः निगम इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने सेवानिवृत/कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा की गई अंशदान राशि के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) जमा कर सके। निगम के सभी कर्मी विभाग में सम्प्रति समायोजित हो चुके है। इसलिए निगम के पूर्व कार्मिकों के कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) की राशि कुल ₹ 28.90 लाख (अठाईस लाख नब्बे हजार) मात्र अनुदान स्वरूप भुगतान करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

3. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बजट शीर्ष मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001 –निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0001 –मत्स्य विकास योजना, विपत्र कोड 02–2405000010001 के तहत विषय शीर्ष–0001.31.06 –सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में आवश्यक राशि अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त कर किया जायेगा।

4. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना होंगे तथा इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे। निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि०, पटना से प्री रिसीट प्राप्त कर एकमुस्त निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस०/NEFT के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि० को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम के प्रबंध निदेशक निगम की ओर से निगम के पूर्व कार्मिकों के कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) की राशि जमा कराना तथा इसी वित्तीय वर्ष में इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना को समर्पित करना सुनिश्चित करायेंगे ताकि निदेशक, मत्स्य के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार को समर्पित किया जा सके।

6. स्वीकृत की जाने वाली राशि ₹ 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–म०/यो०–12/2026 के पृष्ठ–17/टि० एवं दिनांक–05.06.2026.

7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–म०/यो०–12/2026 के पृष्ठ–17/टि० तथा डायरी संख्या–340, दिनांक–01.06.2026.

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– म०/यो०–12/2026– /पटना–15, दिनांक– / /2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– म०/यो०–12/2026–3020 /पटना–15, दिनांक–16/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि० पटना/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– म०/यो०–12/2026–3020 /पटना–15, दिनांक–16/6/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– म०/यो०–12/2026–3020 /पटना–15, दिनांक–16/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– म०/यो०–12/2026–3020 /पटना–15, दिनांक–16/6/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– म०/यो०–12/2026–3020 /पटना–15, दिनांक–16/6/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001 –निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0001 –मत्स्य विकास योजना, **विपत्र कोड 02–2405000010001** के तहत डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अन्तर्गत बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि० पटना के पूर्व कर्मिकों के कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान के विरूद्ध Damage and Interest Charges (क्षति एवं ब्याज शुल्क) के भुगतान पर अनुमानित व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	0001.31.06 –सहायक अनुदान गैर–वेतन	**₹ 28.90**	निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुलः–	**₹ 28.90**		

(रुपये अठाईस लाख नब्बे हजार मात्र)

3020
16/6/26

12/6
सरकार के संयुक्त सचिव